म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

<u>शिकायत क्र0 सी–11 / रासूआ / 10–3–2 / रायसेन / 2005</u>

श्री शेख फरीद आत्मज श्री शेख नसीरूद्दीन　　　　**शिकायतकर्ता**
ग्राम मगरई, पोस्ट–सुल्तानपुर,
जिला रायसेन

<u>विरूद्ध</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं
कनिष्ठ यंत्री,
म0प्र0मध्य क्षेत्र विद्युत वित0कं0
गौहरगंज जिला रायसेन

<u>आदेश</u>

(दिनांक 25 मार्च 2006)

श्री शेख फरीद ने एक शिकायत प्रस्तुत की है कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (अधिनियम) के अन्तर्गत पत्र क्र0 / प्र0 / अधि0 / वि0के0 / विधिक / 1910, 1911 एवं 1912 दिनांक 9.11.05 में संलग्न / उपलब्ध प्रारंभ से अंत तक के समस्त पत्र, पंचनामा, नक्शा, जब्त सामग्री की नाम एवं संख्या, दस्तावेजों आदि की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन कनिष्ठ यंत्री / लोक सूचना अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता शुल्क आदि नकद जमा करने का तैयार था, किन्तु श्री सतपथे, कनिष्ठ यंत्री एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा शुल्क लेने से इंकार कर दिया गया । उन्होंने पंजीकृत डाक दिनांक 22.11.05 द्वारा एक आवेदनपत्र और रू0 100 / – का मनीआर्डर, लिफाफा पता लिखकर के कुल 26 / – रूपये के डाक टिकिट के साथ तथा रू0 10 / – का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ लोक सूचना अधिकारी को भेजा था और उनसे चाही गई जानकारी / दस्तावेज पार्सल से भेजने का अनुरोध किया था । शिकायतकर्ता का यह कथन है कि चाही गई जानकारी उसके जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है जो अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत कनिष्ठ यंत्री, लोक सूचना अधिकारी को 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करानी चाहिए थी। उसका यह कहना है कि कनिष्ठ यंत्री ने उक्त आवेदन एवं मनीआर्डर दिनांक 22.11.05 को लेने से इंकार कर दिया । इसे वापस करने का कोई वैधानिक अधिकार उन्हें नहीं है ।

2. इस शिकायत के संबंध में कनिष्ठ यंत्री, म0प्र0मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कं0 लि0 गौहरगंज से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । उनका यह कहना है कि शिकायतकर्ता श्री शेख फरीद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई जानकारी कार्यालय के पत्र क्र0 1999 दिनांक 14.12.05 से पंजीकृत डाक से भेज दी गई है । उन्होंने संबंधित जानकारी की फोटो प्रति संलग्न की है । उनका यह भी कहना है कि कनिष्ठ यंत्री, लोक सूचना अधिकारी नहीं है, लोक सूचना अधिकारी को पृथक से नियुक्त किया गया है जो सहायक यंत्री है । इस प्रकार के न्यायालीयन मामलों में विधि अनुसार प्रमाणित प्रति देने हेतु कनिष्ठ यंत्री प्राधिकृत नहीं है । जिन प्रकरणों के संबंध में शिकायकर्ता द्वारा जानकारी चाही गई है वह कनिष्ठ यंत्री द्वारा तैयार नहीं की गई है बल्कि सहायक यंत्री द्वारा तैयार की गई है।

3. इस विषय पर मौखिक सुनवाई के लिये शिकायतकर्ता एवं कनिष्ठ यंत्री को दिनांक 21.3.2006 को बुलाया गया था । शिकायतकर्ता ने पत्र वापस किए गए लिफाफे की फोटो प्रति अपने आवेदन के साथ लगाई है । यह लिफाफा 'श्रीमान कनिष्ठ यंत्री महोदय (लोक सूचना अधिकारी) म0प्र0म0क0वि0वि0कं0लि0 गौहरगंज, जिला रायसेन, म0प्र0' को सम्बोधित है । इस पत्र में पोस्टमेन ने यह अंकित किया है कि विद्युत मंडल कार्यालय गौहरगंज का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी का कोई पद नहीं है अतः प्रेषक को सही पते हेतु वापस । इस लिफाफे पर पोस्टमेन ने हस्ताक्षर किए हैं और दिनांक 23.11.05 अंकित किया है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि यह इस बात का सबूत है कि कनिष्ठ यंत्री ने आवेदनपत्र लेने से अस्वीकार कर दिया है । सुनवाई के समय कनिष्ठ यंत्री का यह कहना है कि वह लोक सूचना अधिकारी नहीं है वे केवल सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं । यह आवेदन पत्र कनिष्ठ यंत्री और लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित किया गया था, इसलिए इसे लेने से मना किया गया था।

4. यह बात स्पष्ट है कि कनिष्ठ यंत्री, लोक सूचना अधिकारी नहीं है और इस बात को शिकायकर्ता ने भी स्वीकार किया है । लेकिन कनिष्ठ यंत्री सहायक लोक सूचना अधिकारी थे और उन्हें संबंधित आवेदन पत्र लेकर लोक सूचना अधिकारी को भेजना चाहिए था । कनिष्ठ यंत्री का यह कहना है कि यह पत्र लिपिकीय वर्ग स्तर से वापस कर दिया गया है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई । कनिष्ठ यंत्री को यह निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। वह अपने कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कोई भी पत्र जो लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित हो, वह लिया जाता है और लोक सूचना अधिकारी को कार्यवाही के लिये भेज दिया जाता है । वह पत्र के भेजने वाले को भी इसकी सूचना दें कि किस कार्यालय को कार्यवाही के लिये पत्र भेजा गया है । वे अपने अधीनस्थ कार्यालयीन कर्मचारी वर्ग को भी सतर्क करें जिससे कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो । इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
25 मार्च 2006